न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 19/2017

अपीलांट		**रेस्पोडेंटस**
पदमाराम पुत्र राईगाराम जाति कलबी निवासी भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	**बनाम**	1. अनाराम पुत्र श्री राईंगाराम जाति कलबी निवासी भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार गुड़ामालानी 3. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 07.09.2016 द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी।

उपस्थित— 1. श्री श्रवण कुमार चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पोंडेंट संख्या 01 के अधिवक्ता अनुपस्थित।
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से।
4. रेस्पोडेंट संख्या 03 एक तरफा।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय — दिनांक 08.01.2018

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा भेडाणा के खसरा नंबर 633 रकबा 26.06 बीघा, खसरा नंबर 720 रकबा 04.10 बीघा एवं मौजा नीलानाडी के खसरा नंबर 166 रकबा 22.11 बीघा, खसरा नंबर 280 रकबा 12.13 बीघा, खसरा नंबर 280/2 रकबा 17.05

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

बीघा एवं खसरा नंबर 394 रकबा 10 बीघा तहसील गुड़ामालानी में आई हुई है। रेस्पोडेंट संख्या 01 को न्याय आपके द्वार अभियान 2016 के तहत उपरोक्त वर्णित सामताली खेतो का कब्जे एवं हिस्से अनुसार बराबर–बराबर विभाजन करवाने हेतु अपीलांट द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गई। रेस्पोडेंट संख्या 01 व उसके पुत्रो ने हल्का पटवारी के साथ मिलकर उक्त आराजी का बंटवाड़ा करने हेतु प्रस्ताव तैयार करवाये एवं प्रस्ताव पर अपीलांट को धोखे में रखकर हस्ताक्षर करवाकर तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष पेश किये। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा इसप्रकार से तैयार प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2016 पारित कर दिया। इस आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया।

3. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क हैं कि मौजा भेडाणा के खेत खसरा नंबर 633 रकबा 26.06 बीघा, खसरा नंबर 720 रकबा 04.10 बीघा एवं मौजा नीलानाडी के खसरा नंबर 166 रकबा 22.11 बीघा, खसरा नंबर 280 रकबा 12.13 बीघा, खसरा नंबर 280/2 रकबा 17.05 बीघा एवं खसरा नंबर 394 रकबा 10 बीघा भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 का संयुक्त रूप से कब्जा है एवं अपने–अपने कब्जे अनुसार काश्त करते आ रहे है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2016 के तहत जो बंटवाड़ा किया गया है वह बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस सिद्वान्त के खिलाफ एवं अपीलांट की अनुपस्थिति में, उसकी जानकारी के बिना कूटरचित दस्तावेजात तैयार कर करवाया गया। अपीलांट को उसके हिस्से में आने वाली भूमि से कम भूमि दी गई। अपीलांट 84 वर्षीय एक बुजुर्ग व्यक्ति है। अपीलांट ने दिनांक 21.6.2016 को तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त विभाजन को रोके जाने का निवेदन किया परन्तु तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा उक्त

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश से बंटवाड़ा रेस्पोडेंट संख्या 01 एवं पटवारी हल्का की मिलीभगत से पक्षकारान के भौतिक कब्जा काश्त अनुसार नहीं किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

4. रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2016 पक्षकारान की आपसी सहमति होने के कारण पटवारी हल्का द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित किया गया है, जो विधि अनुसार सही होने से अपीलांट की अपील खारिज की जाये।

5. हमने अपीलांट के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंटस संख्या 02 राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार गुड़ामालाानी द्वारा पारित बंटवाड़ा आदेश दिनांक 07.09.2016 के विरूद्व पेश की है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा भेडाणा के खेत खसरा नंबर 633 रकबा 26.06 बीघा, खसरा नंबर 720 रकबा 04.10 बीघा एवं मौजा नीलानाडी के खसरा नंबर 166 रकबा 22.11 बीघा, खसरा नंबर 280 रकबा 12.13 बीघा, खसरा नंबर 280/2 रकबा 17.05 बीघा एवं खसरा नंबर 394 रकबा 10 बीघा तहसील गुड़ामालानी में आई हुई है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। उक्त सहमति से विभाजन के बंटवाड़ा में कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है, अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के मौजूदा कब्जा काश्त बाई मिटस एवं बाउण्डस के सिद्वान्त अनुसार नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जांच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट नें अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2016 को अपास्त किया जाता है और तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त अनुसार खातेदारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए पुनः विधिवत विभाजन आदेश पारित करें।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 08.01.2018 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)